भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2244
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है)

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए कर में कटौती

2244. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र कोविड-19 महामारी द्वारा सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक है;
(ख) पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बचाने के लिए की गई कर कटौती का ब्यौरा क्या है; और
(ग) यह ध्यान में रखते हुए कि पर्यटन क्षेत्र महामारी द्वारा सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, इस क्षेत्र को दी गई वित्तीय राहत का उप क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): कोविड-19 के कारण यात्रा और पर्यटन उद्योग के बंद होने से पर्यटन पर निर्भर लोगों की आजीविका पर व्यापक प्रभाव पड़ा। पर्यटन मंत्रालय ने ''भारत एवं कोरोनावायरस महामारी: पयर्टन में लगे परिवार के आर्थिक नुकसान तथा बहाली के लिए नीतियां'' पर एक अध्ययन करने हेतु एनसीएईआर को संलग्न किया है।

कोविड-19 के प्रकोप के कारण करदाताओं द्वारा झेली जाने वाली चुनौतियों के मद्देनजर सरकार ने पर्यटन और आतिथ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में नकदी प्रवाह में सुधार लाने हेतु कई कराधान उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:-

i) 14 मई, 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए निवासियों को किए गए गैर-वेतनभोगी निर्दिष्ट भुगतान के लिए 25 प्रतिशत तक की स्रोत पर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह की दरों में कमी।
ii) दिनांक 20.03.2020 से 29.06.2020 तक भुगतान के लिए देय आयकर (उदाहरणार्थ अग्रिम कर, टीडीएस, टीसीएस) समकरण लेवी, प्रतिभूति लेनदेन कर, वस्तु लेनदेन कर के भुगतान में विलंब के लिए ब्याज को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष (0.75 प्रतिशत प्रतिमाह) की घटी दर से वसूला जाएगा, यदि भुगतान 30.06.2020 तक किया गया है।
iii) करदाताओं जिनकी स्व-मूल्यांकन कर देयता 1 लाख तक की है, के मामले में स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान की तिथि को 10 जनवरी, 2021 तक (गैर लेखापरीक्षा मामलों के लिए) तथा 15 फरवरी, 2021 तक (उन मामलों में जहां लेखापरीक्षा अनिवार्य है) बढ़ा दिया गया है।
iv) 1 अप्रैल, 2020 से 22 फरवरी 2021 के बीच 1.93 करोड़ से अधिक करदाताओं को 1,95,736 करोड़ रु. से अधिक रिफंड जारी करना।
v) अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने के लिए विवाद से विश्वास योजना की अवधि को 30.04.2021 तक बढ़ाना।
vi) जीएसटी परिषद ने होटल के आवास के लिए जीएसटी दरों को काफी कम कर दिया था। 7500/- रु. से ऊपर के किराए वाले कमरे के लिए जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई। इसी तरह, 2500/- रु. से लेकर 7500/-रु. प्रति रात किराए वाले कमरे के लिए इसे 18% से घटाकर 12% कर दिया गया। जीएसटी लागू होने के बाद से रेस्तरां और खानपान सेवाओं पर जीएसटी दरों में भी काफी कमी की गई है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं और अनुबंध में दिए गए विवरण के अनुसार इस संकट को दूर करने के लिए और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों/पहलों की शुरुआत की है।

*****

अनुबंध

पर्यटन क्षेत्र में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. होटल, रेस्तरां, बीएंडबी / होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और व्यापार को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए 08.06.2020 को जारी किए गए हैं।
ii. होटल और अन्य आवासीय इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणपत्रों की वैधता जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना थी, को 01 अप्रैल, 2021 तक बढ़ाया गया है।
iii. मंत्रालय ने होटल, रेस्तरां, बीएंडबी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड 19 के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए साथी (सिस्टम फॉर असेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) नामक एक पहल विकसित की है।
iv. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों को आसान बनाने के साथ ही व्यापार को सुरक्षित रुप से पुनः शुरू करने के लिए परिचालन संबंधी संस्तुतियां जारी की गई हैं और ये सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं।
v. पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटर्स, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की मान्यता को छह महीने के लिए स्वतः रूप से बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए आवेदन जमा किया है, उन्हें आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने में लंबन के कारण छह महीने के लिए अनंतिम मान्यता दी गई है।
vi. पर्यटन मंत्रालय द्वारा उठाए गए उपरोक्त कदमों के अलावा, भारत सरकार की अन्य एजेंसियों/मंत्रालयों ने आतिथ्य उद्योग की इकाइयों सहित अर्थव्यवस्था और उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण अधिस्थगन, पीएफ अंशदान से छूट, अक्टूबर 2020 तक टीसीएस का आस्थगन, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत संपार्श्विक मुक्त स्वतः ऋण आदि जैसे प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की है।

अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, विदेशों में भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय विभिन्न प्रचार गतिविधियों को शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी का स्थानीय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और डिजिटल मीडिया में विज्ञापन; विदेशी टूर ऑपरेटरों और यात्रियों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए भारत में कोविड-19 के आसपास की सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए वेबिनार का आयोजन, रोड शो, इंडिया इवनिंग, भारत को जाने; सेमिनार और कार्यशाला; भारतीय खाद्य उत्सवों और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन और समर्थन; टूर ऑपरेटरों को ब्रोशर सपोर्ट प्रदान करना और एयरलाइनों, टूर ऑपरेटरों और अन्य संगठनों के साथ संयुक्त प्रचार/संयुक्त प्रोत्साहन, विदेशों में भारतीय मिशनों के सहयोग से संयुक्त प्रोत्साहन आदि शामिल है।
मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ/पहलें की हैं:
i. देखो अपना देश वेबिनार।
ii. लॉकडाउन के दौरान देश भर के प्रमुख शहरों और सांस्कृतिक संपत्तियों (दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, उडुपी, औरंगाबाद, प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल) की एरियल फोटोग्राफी।
iii. पर्यटन क्षेत्र को खोलने से संबंधित मुद्दों पर उद्योग हितधारकों के साथ नियमित परामर्श,
iv. पर्यटकों के प्रबंधन, सुरक्षा और संरक्षा के प्रोटोकॉल, सेवा मानक आदि।
v. वेबिनार, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से घरेलू पर्यटन संवर्धन अभियान।
vi. देखो अपना देश अभियान घरेलू संवर्धन का मुख्य आधार रहा है। मुख्य ध्यान भारत के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के इस विश्वास को पुनः जागृत करने पर है कि कोविड के बाद के परिदृश्य में भारत यात्रा करने के लिए एक सुरक्षित गंतव्य है।

*****